निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 09 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उप निदेशक, रेशम , श्रीनगर, (पौड़ी गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप निदेशक, रेशम , श्रीनगर, (पौड़ी गढ़वाल) के माह 05/2013 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री शरद चौधरी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 19/05/2018 से 24/05/2018 तक श्री नीरज चूंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई को आहरण वितरण का अधिकार मिलने के बाद यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः रेशम उत्पादन एवं शहतूत वृक्षा रोपण जनपद पौड़ी, टिहरी एवं उत्तरकाशी**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	-	-	7502113	7502113	5265804	5265804	-	-
2014-15	-	-	10409233	10409233	13823552	13823552	-	-
2015-16	-	-	10923407	10923407	1912537	1912537	-	-
2016-17	-	-	12854876	12854876	1887165	1887165	-	-
2017-18	-	-	14783019	14783019	1449470	1449470	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत (-) `
2013-14	CDP	NIL	4182000	4182000	-	-
2014-15	CDP	NIL	8605000	8605000	-	Nil[1]
2015-16	RKVY	NIL	7337500	7209078	-	128422
2016-17	RKVY & CSS	NIL	6910500	3545270	-	3365230
2017-18	CSS	NIL	120000	120000	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

[1] बचत पर प्रस्तर लिखा गया है

<u>रेशम निदेशालय उत्तरखण्ड, स्वीकृत विभागीय ढांचा</u>

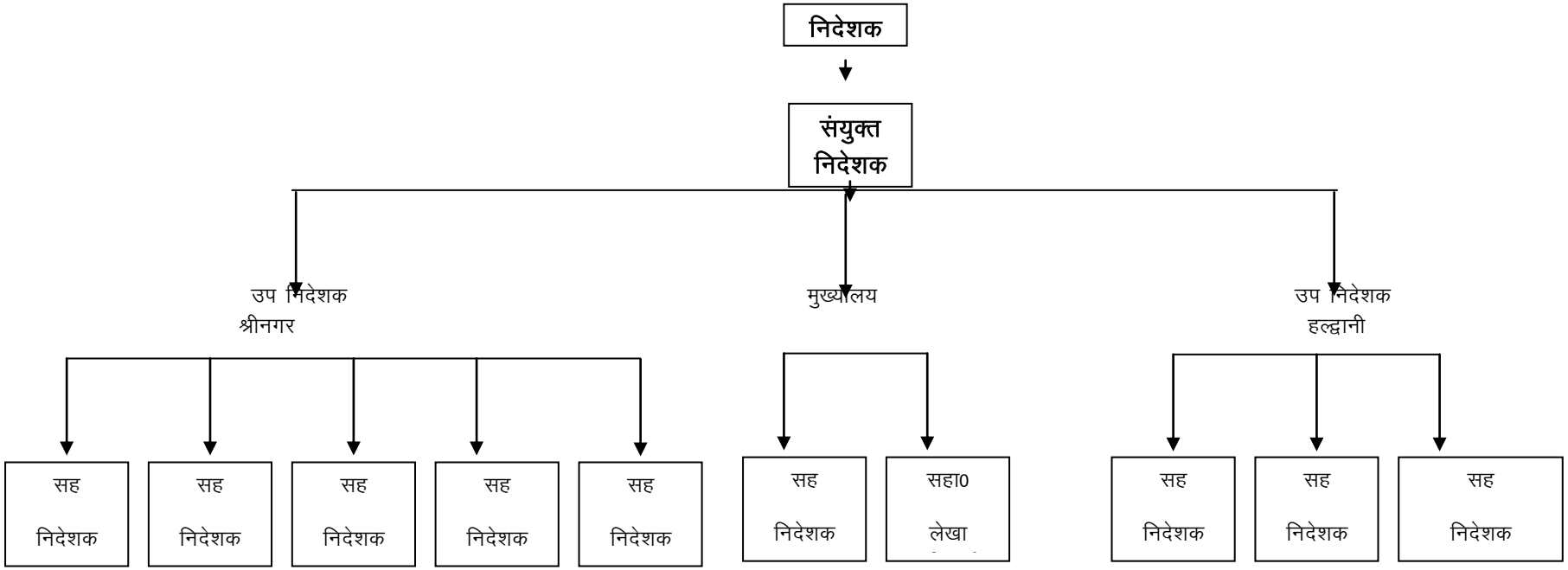

<u>जनपद स्तर का ढांचा</u>

सहायक निदेशक,

निरीक्षक

प्रदर्शक

कीटपालक /माली

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **उप निदेशक, रेशम , श्रीनगर, (पौड़ी गढ़वाल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उप निदेशक, रेशम , श्रीनगर, (पौड़ी गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2014 एवं 01/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग– दो (ब)

प्रस्तर 1– केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना की धनराशि रू0 **72.92** लाख **(जिसमें अर्जित ब्याज** धनराशि रू0 **42.67** लाख **सम्मिलित है) सेविंग अकाउंट में** अवरूद्ध रखा जाना, योजना के प्रावधानों **के विरूद्ध भारत सरकार से** अनुमोदन प्राप्त न कर **उक्त धनराशि का उपयोग न कर राज्य सरकार के राजस्व मे ब्याज की धनराशि रु० 283957 जमा किया जाना तथा योजना मे अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) निदेशालय को प्रेषित नहीं किया जाना**

कार्यालय उप निदेशक, रेशम, श्रीनगर (पौढ़ी गढ़वाल) की लेखापरीक्षा नमूना जॉच (माह 05/2018) में पाया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार) की सहायता से प्रदेश में केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना (CDP) का संचालन किया गया जिसके अन्तर्गत राज्य में नये रेशम क्लस्टर विकसित कर लाभार्थियों को वृक्षारोपण, कीटपालन भवन तथा कीटपालन उपकरण आपूर्ति हेतु सहायता उपलब्ध कराई गयी। 12वी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 तक केंद्रीय रेशम बोर्ड की सहायता से प्रदेश मे सी० डी० पी० योजना का संचालन (90:10 के अनुपात) मे किया गया। लेकिन वर्ष 2015-16 से उपरोक्त सी० डी० पी० योजना को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर सी०एस०एस० (80:10:10 केन्द्र: राज्य: लाभार्थी के अनुपात) योजना को पुनर्गठित किया गया। केन्द्रांश/राज्यांश के रूप में उपरोक्त कैटेलिटिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में रू0 41.82 लाख तथा वर्ष 2014–15 में रू0 123.07 लाख की धनराशि उप निदेशक(रेशम), श्रीनगर, कार्यालय को आबंटित/प्राप्त हुई थी। परन्तु उक्त . योजना मे अवमुक्त की गयी धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) निदेशालय कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया था |

योजना सम्बन्धी अभिलेखो की जांच में आगे पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत 2014-15 तक धनराशि कोषागार के माध्यम से प्राप्त हो रही थी परन्तु योजना हेतु अवमुक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त आहरण कर अलग सेविंग बैंक अकाउंट (सिंडिकेट बैंक सेविंग अकाउंट No. 86722210007827) मे रखा जा रहा था जबकि सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 55/ XXVII(14)/2010 दिनांक 11 जून 2011 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को प्रेषित है के द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-

99/XXVII(14)/2009 दिनांक 3 सितंबर 2009 पत्र संख्या 158/XXVII(14)/2009 दिनांक 27-11-2009 तथा पत्र संख्या 225/XXVII(14)/2010 दिनांक 22 मार्च 2010 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विभाग को शासकीय धन को जमा करने हेतु अनिवार्य रूप से राज्य की अर्थोपाय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के लिए समेकित निधि से आहरण तब किया जाय जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो, के सिद्धांत पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों, निकायों, परियोजनाओं, परिषदों आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार में व्यक्तिगत खाता (पी0एल0ए0) यदि पूर्व में न खुला हो तो एक सप्ताह के अंदर खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियाँ जो बैंक में रखी गयी हो अथवा सावधि (फिक्स डिपोजिट) जमा में रखी गयी हों, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी0 एल0 ए0 में जमा कर दिया जाये। पी0 एल0 ए0 से तत्काल आवश्यकता की ही धनराशियाँ सामान्य जमा या सावधि जमा में न की जायें। इस सन्दर्भ मे योजनाओ के लिए अवमुक्त धनराशि के शासनादेश मे भी बार बार दिशा निर्देश दिये गये थे लेकिन इकाई द्वारा आबंटित/अवमुक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त आहरण कर अलग सेविंग बैंक अकाउंट मे रखकर तथा समय पर खर्च न कर समय-समय पर अवरुद्ध रखा गया जो कि दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है | लेखापरीक्षा तिथि (05/2018) तक योजना के सिंडिकेट बैंक सेविंग अकाउंट No. 86722210007827 में कुल रू0 4267454.68 ब्याज के रूप में जमा था तथा उक्त तिथि को कुल बैलेंस रू0 7290368.68 था। अतः ब्याज की धनराशि **रू0** 42.67 **लाख** को बैंक खाते में ही अवरूद्ध रखा गया था। सिंडिकेट बैंक सेविंग अकाउंट में अर्जित ब्याज को योजना मे सम्मिलित न कर राज्य सरकार के राजस्व मे दिनांक 16 मार्च 2017 को धनराशि रु० 283957 जमा किया गया जो योजना के गाइडलाइंस मे दिये गए निर्देशों के विरूध्द था जबकि ऐसा किए जाने का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था। उप निदेशक(रेशम), श्रीनगर, कार्यालय द्वारा उक्त योजना की जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज ` 42.67 लाख के सन्दर्भ में रेशम निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजने की कार्यवाही की जा रही है उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भेज दी जायेगी जबकि ब्याज की धनराशि के अवरूद्ध रखे जाने के विषय में रेशम निदेशालय से दिशा निर्देश दिया गया है तथा सेविंग अकाउंट में अर्जित ब्याज को राज्य सरकार के राजस्व में रू 283957 को चालान से जमा किये जाने के विषय में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही है अवगत कराया गया। इकाई का उत्तर तर्कसंगत

नही था क्योकि योजना के लिये आबंटित/प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्रेषित नही किया गया था, सेविंग अकाउंट में प्राप्त ब्याज की धनराशि रू0 42.67 लाख को अवरूद्ध रखा गया था जबकि ऐसा किये जाने सम्बन्धी कोई दिशा निर्देश निदेशालय द्वारा ईकाई को नही दिये गये थे तथा बिना किसी दिशा निर्देश प्राप्त किये ही सेविंग अकाउंट में अर्जित ब्याज को राज्य सरकार के राजस्व में दिनांक 16 मार्च 2017 को धनराशि रू 283957 को चालान से जमा किया गया था।

अतः केन्द्रपोषित कैटेलिटिक **योजना की** धनराशि रू0 72.92 लाख (**जिसमें अर्जित ब्याज** धनराशि रू0 42.67 लाख **सम्मिलित है) सेविंग अकाउंट में** अवरूद्ध रखा जाना, योजना के प्रावधानों के विरूद्ध भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त न कर उक्त धनराशि का उपयोग न कर **राज्य सरकार के राजस्व मे ब्याज की धनराशि रु० 283957 जमा किया जाना तथा योजना मे अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) निदेशालय को प्रेषित नहीं किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।**

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2: ` 1,07,54,348.00 धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय मे नही भेजना.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत योजना को संचालित करने हेतु वर्ष 2015-16 व 2016-17 मे निदेशालय, रेशम विभाग, उत्तराखंड देहरादून के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यालय को कुल ` 1,40,50,000 .00 की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमे से अभिलेखों के अनुसार ` 1,07,54,348.00 व्यय दर्शाया गया हैं। एवं अवशेष धनराशि चालू खाते मे ` 32,95,652.00 बची हैं।

इस संबंध मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) गाइड लाइंस 2014 के पैरा न0 10.3 के अनुसार- release of the second and final instalment would be considered on the fulfilment of the following conditions:

a) 100% utilization certificates (UCs) for the funds released upto previous financial year.
b) Expenditure of at least 60% of funds released in first instalment during current year
c) Submission of performance report in terms of physical and financial achievements as well as outcomes, on a quarterly basis, within the stipulated time frame in specified format.

As per para 10.7, the amounts of the second and final instalment of the allocation will depend upon the progress of utilization of funds, states should ensure that the funds released are utilized promptly, properly and progress reports are sent to Department of Agriculture (DAC) at the earliest.

कृषि निदेशालय, उत्तराखंड देहरादून के द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवंटित धनराशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित कर निर्धारित प्रारूप जी0एफ0आर0-19 ए पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट को तिमाही भेजी जानी चाहिए थी। तथा अवशेष धनराशि की सूचना वित्तीय वर्ष के अंदर ही निदेशालय/शासन को उपलब्ध करनी होगी। इस संबंध मे कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय द्वारा कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को नही भेजा गया। जिससे वह उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि निदेशालय, उत्तराखंड देहरादून को भेज दें। एवं अगली किस्त अवमुक्त हो जाए। (परंतु फिर भी निदेशालय ने उपयोगिता प्रमाण पत्र बिना प्राप्त किए ही अपने अधीनस्थ कार्यालयो को अगली किस्त भेज दी हैं) योजना हेतु फरबरी 2018 मे भी `1,80,000.00 प्राप्त हुए हैं। चूंकि यह योजना 2016-17 तक पूरी होनी थी इसलिए यह

धनराशि भी 2016-17 तक अवमुक्त हो जानी चाहिए थी। परंतु उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजने व सही भौतिक प्रगति न होने के कारण कार्यालय को धनराशि देर से अवमुक्त हो रही हैं। इस संबंध मे निदेशालय द्वारा पत्रांक-662(7)/रेशम/तक0 अनु0/ 2015-16 दिनांक- 02 सितंबर 2015 द्वारा भी अनुस्मारक भेजा गया हैं।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य मे अनुपालन किया जाएगा तथा RKVY योजना से प्राप्त धनराशि को चालू खाते मे रखने हेतु निदेशालय से पत्राचार किया जाएगा।।

अत: ` 1,07,54,348.00 धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय मे नही भेजने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–2 'ब'

प्रस्तर 3 : जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्लस्टर को योजना के लाभ मिलने से वंचित रखा जाना व निरर्थक व्यय `14 लाख।

रेशम विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है :

1) ग्रामीण एवं उद्योग शून्य क्षेत्रों में रेशम कीटपालन संबंधी स्वरोजगार का सरलतम साधन उपलब्ध कराना।

2) महिलाओं, बेरोजगार युवाओं तथा सीमान्त व भूमिहीन कृषकों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार करना।

3) ग्रामवासियों का शहरों की ओर पलायन रोकने व कृषि पर अधिक जैविक भार कम करते हुये अल्प पूॅजी पर ग्रामीण आर्थिकी का विकास करना।

4) क्षेत्र में उपलब्ध श्रमशक्ति तथा संसाधनों को नियोजित करते हुये आर्थिक गतिविधि की ओर प्रेरित करना तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करनें में सहायता प्रदान करना।

12वी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 तक केंद्रीय रेशम बोर्ड (भारत सरकार)की सहायता से प्रदेश मे सी० डी० पी० योजना का संचालन (90:10 के अनुपात) मे किया जा रहा था लेकिन सी० डी० पी० योजना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से समाप्त कर सी०एस०एस० (80:10:10 केन्द्र: राज्य: कृषक लाभार्थी के अनुपात) योजना को पुनर्गठित किया गया था। कार्यालय के अभिलेखो के अनुसार जनपद पौड़ी मे यमकेश्वर क्लस्टर मे 100 कृषको को सी0डी0पी0 योजना के अंतर्गत रेशम संबन्धित उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट (4/2014) बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिये कृषको से मनेरगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण करवाया गया था जिसमे 30000वृक्ष @ 8 रू प्रति पेड़ `2.40 लाख व मजदूरी के रूप मे `11.34 लाख का व्यय (जिला योजना व राज्य योजना के 2017-18 मे भुगतान किया गया) किया गया था। लेकिन कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेखो मे पाया गया कि इकाई द्वारा सी० डी० पी० योजना वर्ष 2015-16 मे बन्द होने से पूर्व इस प्रोजेक्ट पर कोई स्वीकृति प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी साथ ही इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु आगे किसी भी अन्य योजना मे सम्मिलित नहीं किया गया था।

अभिलेखो मे आगे पाया गया कि सी0डी0पी0 योजना (सी0सी0एस0) के क्रियान्यवन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि को कार्यालय द्वारा वर्ष 2012 से 2015 तक कोषागार से निकाल कर वित्तीय नियम विरुध्द एक अलग सेविंग बैंक अकाउंट मे

रखा गया था जिस पर आतिथि मे अर्जित ब्याज `42.67 लाख समेत कुल `72.92 लाख अवरूध है जिससे किसी कार्य पर तभी उपयोग मे लाया जा सकता है जब सी0सी0एस0 गाइडलाइंस के अनुसार इसे भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाये जो कि कार्यालय द्वारा इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया गया था। इस के अतिरिक्त कार्यालय द्वारा इस अवरूद धनराशि `72.92 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र / सूचना निदेशालय को प्रेषित भी नहीं की थी जो जी0 एफ़0 आर0 19 ए के निर्देशों के विरूद है। अत: विभाग की शिथिलता के कारण जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्लस्टर ( जिस मे 100 कृषक सम्मलित थे ) जिस पर वृक्षारोपण एवं मजदूरी पर `13.74 लाख व्यय करने के उपरांत उपलब्ध धनराशि होने पर भी इसका उपयोग समय रहते कार्यक्रम/प्रोजेक्ट पर नहीं किया जा सका तथा योजना से कृषको को मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया साथ ही यह प्रकरण विभाग के मूल उददेशयो के विपरीत था।

उपरोक्त के सम्बंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि इस क्लस्टर मे यह योजना पहले से चल रही थी। वर्ष 2014-15 मे भी 100 कृषको का चयन किया गया था परन्तु योजना बन्द होने के कारण इन कृषको को योजना का लाभ नहीं मिल पाया व अन्य किसी योजना मे शामिल किए जाने की कार्यवाही रेशम निदेशालय द्वारा किया जाता है। इस के अतिरिक्त वृक्षारोपण का लाभ पशुपालन मे किया जा रहा है कुल कितने रोपित वृक्ष आतिथि पर जीवित है की जानकारी क्लस्टर प्रभारी से प्राप्त कर ली जायेगी। उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपति की पुष्टि करता है कि जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्लस्टर मे वृक्षारोपण एवं मजदूरी पर `13.74 लाख के व्यय करने के उपरांत तथा योजना मे उपलब्ध धनराशि होने पर भी कृषको को उक्त योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया। इसके साथ साथ यह प्रकरण विभाग के वर्णित मूल उददेशयो के विपरीत है।

अत: जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्लस्टर को योजना के लाभ मिलने से वंचित रखा जाना व निरर्थक व्यय `14 लाख का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 4: योजना के अंतर्गत कम रोजगार सृजन, लक्ष्य के सापेक्ष कम कोया उत्पादन (किलोग्राम), महिलाओं का योगदान योजनाओ मे कम होना, लाभार्थी ग्रामो की वास्तविक प्रगति गलत प्रस्तुत करने तथा SDG गोल्स के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित न किया जाना।

Goal 2.
End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
Goal 8.
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.
Goal 15.
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.

विभाग को उपरोक्त तीन SDG गोल्स के उददेशों की पूर्ति हेतु चुना गया है। इस सन्दर्भ मे कार्यालय के लेखा अभिलेखो मे निदेशालय द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और न ही कार्यालय को इस सन्दर्भ मे कोई जानकारी है।

अभिलेखो मे आगे पाया गया कि विगत तीन वर्षो मे जिला योजना 2015-16, 2016-17 व 2017-18 मे अनुमान से कम बजट प्राप्त होने के कारण रोजगार सृजन मे भी अनुमानित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। अभिलेखो के अनुसार व ***सलग्नक 1*** के अनुसार जनपद पौड़ी, उत्तरकाशी व टिहरी मे लक्ष्य के सापेक्ष कम कोया का उत्पादन (किलोग्राम) हुआ है व महिलाओं का योगदान जनपद पौड़ी मे 50 प्रतिशत से कम था। उपरोक्त के अतिरिक्त अभिलेखो व जिलाधिकारी को प्रस्तुत प्रगति आख्या मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि कार्यालय एक ही ग्राम (मानसून व बसंत मे एक ही ग्राम द्वारा रेशम का क्रय किया गये है) को दो बार जोड़ कर लाभान्वित ग्रामो की उपलब्धि संख्या अधिक बता रहा है जबकि नियमानुसार वर्तमान मे कुल कितने नये ग्राम मानसून व बसंत मे पूर्व उपलब्धि मे जुड़े है होना चाहिए जिस से यह पता चले कि विभाग द्वारा जिले के कुल कितने ग्रामो मे इस कार्यो को किया जा रहा था और उक्त ग्रामो के कुल कितने कृषक इस कार्य के साथ जुड़े थे।

उपोक्त से संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि SDG गोल्स हेतु न तो निदेशालय द्वारा कोई जानकारी दी है और न ही प्लान मे इस संबंध मे कोई कार्यवाही की जा रही है। लक्ष्य के सापेक्ष कम कोया का उत्पादन (किलोग्राम) कृषको द्वारा रेशम कीट पालन मे कम रुचि लेना, बार बार मौसम का खराब होना व प्रदूषण है। पहाड़ी क्षेत्र मे महिलाओ द्वारा घर मे कृषि व अन्य कार्य भी करने से महिलाओ का योगदान योजनाओ मे कम है। इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दो बार फसल होने की वजह से ग्रामो की प्रगति जोड़ कर अंकित की जाती है वास्तव मे तीनों जिलो के कुल ग्राम 344 के सापेक्ष 169 ग्राम है। कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है कि कार्यालय मे योजनाओ के सफल क्रियान्वयन व उददेशों की पूर्ति नहीं हो पा रही है जिसका मुख्य कारण रिक्त पद जेसा कि उप निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार मे वे निदेशक, रेशम विभाग का कार्य देख रहे है) सहायक निदेशक का पद, 07 प्रदर्शक, 6 निरीक्षक, 4 प्रधान/कीट पालक व 9 प्रधान/माली न होना, सेविंग बैंक अकाउंट मे उपलब्ध `72.92 लाख अवरूध रखे जाना जिससे किसी अन्य कार्य पर सी0सी0एस0 गाइडलाइंस के अनुसार भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु लाया जा सकता था व SDG गोल्स प्राप्ति हेतु निदेशालय द्वारा कोई दिशा निर्देश न देना है।

अत: योजना के अंतर्गत कम रोजगार सृजन[2], लक्ष्य के सापेक्ष कम कोया उत्पादन (किलोग्राम), महिलाओं का योगदान योजनाओ मे कम होना तथा लाभार्थी ग्रामो की वास्तविक प्रगति गलत प्रस्तुत करने व SDG गोल्स के लक्ष्य प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

[2] यमकेशवर क्लस्टर को योजना के लाभ मिलने से वंचित रखा जाना

सलग्नक 1

कोया उत्पादन (किलोग्राम)								
	2015-16		2016-17		2017-18		कुल	
जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
पौड़ी	10950	8911.2	10000	9663.6	15000	12100	35950	30674.8
टिहरी	500	371.90	1100	776.8	1500	1168.10	3100	2316.8
उत्तरकाशी	3200	2616.40	4500	3427.2	5000	3961.4	12700	10005
योग	14650	11899.5	15600	13867.6	21500	17229.5	51750	42996.6

भाग–दो (ब)

प्रस्तर 5– त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान किया जाना।

कार्यालय उप निदेशक, रेशम, श्रीनगर (पौढ़ी गढ़वाल) की लेखापरीक्षा नमूना जॉच (माह 05/2018) में पाया गया कि श्री राजवीर सिंह, वरिष्ठ सहायक की सेवा पुस्तिका में वेतन वैण्ड रू0 5200–20200 में ग्रेड पे रू0 2400 से ग्रेड पे रू0 2800 में उच्चीकरण करते हुये दिनांक 01.01.2013 को रू0 11360/–(8560 Pay+2800 Grade Pay) वेतन निर्धारित किया गया था **(ग्रेड पे 2800 के सापेक्ष Entry Level Rs. 11360 पर निर्धारित)**, परन्तु उच्चीकरण के दिनांक 01.01.2013 को ही 3 प्रतिशत की वेतन वृद्धि रू0 350/– की दी गयी जो त्रुटिपूर्ण है जिसे एक वर्ष पश्चात् दिया जाना चाहिये था जिससे उनका वेतन दिनांक 01.01.2013 को रू0 11360/–(8560 Pay+2800 Grade Pay) के स्थान पर रू0 11710/–(8910 Pay+2800 Grade Pay) एक वेतन वृद्धि अधिक दिये जाने से हो गया, इसके कारण श्री राजवीर सिंह वरिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक 01.01.2013 से लेखापरीक्षा तिथि तक एक वेतन वृद्धि अधिक का वेतन का आहरण किया जा रहा था।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत श्री पंकज सिंह नेगी, वरिष्ठ सहायक को वेतन वैण्ड रू0 5200–20200 में ग्रेड पे रू0 2000 से ग्रेड पे रू0 2800 में पदान्नति करते हुये दिनांक 29.10.2013 को रू0 9690/–(6890 Pay+2800 Grade Pay) रेशम निदेशालय देहरादून द्वारा वेतन निर्धारित किया गया था उन्हे ग्रेड पे 2800 के सापेक्ष Entry Level Rs. 11360/–(8560 Pay+2800 Grade Pay) पर वेतन निर्धारित नही किया गया था जबकि श्री राजवीर सिंह, वरिष्ठ सहायक को ग्रेड पे 2800 के सापेक्ष Entry Level Rs. 11360/–(8560 Pay+2800 Grade Pay) देते हुये अधिक पर वेतन का निर्धारण किया गया था जबकि दोनो प्रकरण में ग्रेड पे 2800 की समानता थी ।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि प्रकरण रेशम निदेशालय भेजा जायेगा त्रुटि को सुधार किया जायेगा तथा निदेशालय से प्रकरण की जॉच कराकर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर तर्क संगत नही था क्योकि कर्मचारी के गलत वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन का भुगतान किया जा रहा था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2014 के नियमो का अनुपालन न करना एवं योजनाओं मे प्राप्त धनराशि ` 2,64,467.00 का अवरुद्ध रखना।

प्रदेश मे रेशम विकास गतिविधियों मे गतिशीलता लाने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की सहायता से संचालित योजनाओं के अधीन रेशम उत्पादन हेतु कृषकों की भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण सम्पन्न कराते हुए लाभार्थियों को कीटपालक सामग्री, विशुद्धिकरण आदि कार्यों हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिसके तहत सहायक निदेशक, रेशम विभाग, श्रीनगर को योजना को संचालित करने हेतु वर्ष 2015-16 व 2016-17 मे निदेशालय, रेशम विभाग, उत्तराखंड देहारादून के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यालय को कुल ` 1,40,50,000 .00 की धनराशि प्राप्त हुई थी। जिसमे से अभिलेखों के अनुसार ` 1,07,54,348.00 का व्यय दर्शाया गया हैं। एवं अवशेष धनराशि ` 32,95,652.00 बची हैं। जबकि कार्यालय के संबन्धित योजना के चालू खाता संख्या-526001010035126 की जांच मे पाया गया की आतिथि तक ` 34,40,119.00 अवशेष हैं। अत: खाते मे ` 1,44,467.00 अतिरिक्त जमा हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) गाइड लाइंस 2014 के अनुसार मुख्य उद्देश्य निम्न हैं-

1. To incentivize the States so as to increase public investment in Agriculture and allied sectors.
2. To ensure that the local needs/crops/priorities are better reflected in the agricultural plans of the States
3. To achieve the goal of reducing the yield gaps in important crops, through focused interventions.
4. To maximize returns to the farmers in Agriculture and allied sectors.
5. To bring about quantifiable changes in the production and productivity of various components of Agriculture and allied sectors by addressing them in a holistic manner.

Further as per para no. 8.6 of above guidelines, State Level Sanctioning Committee(SLSC) shall ensure the adequate coverage of small and marginal farmers, SC, ST, physically challenged, women and other weaker segments of society is ensured so that the benefits of implementation are inclusive and accrue to the intended beneficiaries
in accordance with Govt. guidelines and policies.

As per para 9.6, as envisaged in National Policy for Farmers (2007) (para 11-viii), Panchayati Raj Institutions (PRI) should be actively involved in

implementation of RKVY especially in selection of beneficiaries, conducting social audit etc.

उक्त योजना के अंतर्गत कार्यालय द्वारा एक नौगांव-पुरोला कलस्टर का चुनाव किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 100 लोगों को लाभार्थी बनाना था जो वृक्षारोपण कर एवं कीटपालन भवन का निर्माण कर एवं कोया तैयार कर रेशम बनाने मे सहयोग करेगे। इसके लिए 2 रेशम दूत की नियुक्ति की जानी होती हैं। जिसके लिए प्रति वर्ष ` 60000/= वेतन दिया जाना हैं अभिलेखो मे देखा गया कि रेशम दूत के मद मे 2015-16 मे ` 120000/= अतिरिक्त धन आवंटन किया गया था।

Monitoring & Evaluation:

As per para 12.1, states will be responsible for timely submission/ updating project data online in the system (preferably on a fortnightly basis) which has been designed to. As per para 12.3, 25% of the projects sanctioned by the state each year under the three streams e.g. RKVY (production growth), RKVY (infrastructure & Assets) & RKVY (Sub-schemes) shall have to be compulsorily taken up for third party monitoring and evaluation by the implementing states. रेशम निदेशालय उत्तराखंड, देहरादून के पत्रांक-1311(8)/रेशम/ तक0अनु0/2017-18 दिनांक-08 दिसम्बर 2017 के अनुसार योजना मे कराये जा रहे कार्यों का समय समय पर भौतिक निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक हैं। जिससे भारत सरकार द्वारा दिये गए धनराशि का सदुपयोग किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को तिमाही भेजी जानी चाहिए थी। कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया हैं कि उप निदेशक, रेशम विभाग, श्रीनगर द्वारा आर0के0वी0वाई0 के अंतर्गत चल रहे नौगांव- पुरोला कलस्टर का योजना के शुरू होने के वर्ष 2015-16 से लेखा परीक्षा तिथि तक कोई भी निरीक्षण नही किया गया।

उक्त के ओर इंगित करने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया हैं कि लाभार्थियों का चयन कलस्टर प्रभारी के माध्यम से किया जाता हैं। तथा PRI के माध्यम से सोशल ऑडिट भी नही किया जाता। योजना के अभी तक अपूर्ण रहने के संबंध मे कहा गया हैं कि कीटपालन भवन व अन्य कार्य पूर्ण नही हुए हैं। 2015-16 मे रेशम दूत के मद मे प्राप्त `1,20,000.00 एवं खाते मे मनरेगा योजना से प्राप्त ` 1,44,467.00 को जल्द ही समर्पण कर दी जाएगी। निरीक्षण के संबंध मे कहा गया हैं की दो कार्यालयों का चार्ज होने से व्यस्तता के कारण निरीक्षण नही किया जा सका। कार्यालय के उत्तर स्वय ही लेखा परीक्षा के आपत्तियों की पुष्टि करता हैं।

अत: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2014 के नियमो का अनुपालन न करने एवं योजनों मे प्राप्त धनराशि ` 2,64,467.00 का अवरुद्ध करने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 2 : रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर ` 0.97 लाख के दायित्व का सृजन व अवरूध धनराशि ` 0.74 लाख।

प्रदेश के रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु भुगतान मे सहायता प्रदान करने के उद्देश से शासन द्वारा राज्य आयोजनागत योजना के अंतर्गत 0713- रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत रेशम कीटपालको से `1 प्रति डी0एफ0एल0 की दर से रेशम कीटाण्ड मूल्य कटौती करते हुए शेष रेशम कीटाण्ड मूल्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्राविधान है।

कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि जनपद पौड़ी, उत्तरकाशी व टिहरी मे रेशम कीटपालको की रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु वर्ष 2015 से 2018 तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी थी। लेकिन योजना के अनुसार बजट मे विगत तीन वर्षो से विभाग द्वारा प्राप्त आपूर्ति रेशम कीटाण्ड व उक्त के मूल्य के अनुसार अनुमान नहीं रखा गया था। जिस कारण से विभाग की आतिथि तक `0.97 लाख[3] केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार की देयता है। इस के अतिरिक्त कृषको से रेशम कीटाण्ड आपूर्ति से प्राप्त धनराशि `73675/- ब्याज सहित बचत खाते मे अवरूध रखा गया था।

इस और इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मांग के अनुसार बजट कम प्राप्त हुआ और रेशम कीटाण्ड आपूर्ति से प्राप्त धनराशि को बचत खाते मे अवरूध रखे व मद वार समीक्षा करने के उपरांत अवगत कराया जाएगा। कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: रेशम कीटाण्ड आपूर्ति पर `0.97 लाख के दायित्व का सृजन व रेशम कीटाण्ड आपूर्ति से प्राप्त धनराशि `73675/- ब्याज सहित बचत खाते मे अवरूध रखे जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

---

[3] `0.74 लाख वर्ष 2016-18 व शेष पूर्व के

STAN

प्रस्तर 3 :- प्रशिक्षण मे ` 45000/- का व्यवर्तन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) निदेशालय को नही भेजा जाना।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2015-16 व 2016-17 में आर. के. वी. वाई. योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी में रेशम फार्म से जुड़े 100 कृषकों (50 प्रतिवर्ष) को रेशम कीटपालन, शहतूत वृक्षारोपण, विशुद्धीकरण व कोया विपणन के विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जिस पर क्रमशः कुल रु. 30,000/- एवं रु. 15000/- की धनराशि के व्यय किये जाने का विवरण दिया है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रशिक्षण के लिए जारी की गयी धनराशियों का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि (.रु)
2013-14	226000
2014-15	40000
2015-16	शून्य
2016-17	198000
2017-18	120000

वर्ष 2015-16 में कृषकों को रेशम कीटपालन, शहतूत वृक्षारोपण, विशुद्धीकरण व कोया विपणन के विषय पर प्रशिक्षण दिए गए। जबकि उस वर्ष के लिए मुख्यालय द्वारा सम्बंधित मद के लिए कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी। तथा संपन्न कराये जा चुके प्रशिक्षणों का उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) लेखा परीक्षा तिथि तक निदेशालय को नही भेजे गए थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि 2015-16 मे दिये गए प्रशिक्षण हेतु किए गए व्यय मे भिन्नता की जांच कर ली जाएगी एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) जल्द ही निदेशालय को भेजा जाएगा। कार्यालय का उत्तर मान्य नही हैं।

अत: 2015-16 मे प्रशिक्षण मद मे `45000/- का व्यवर्तन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) निदेशालय को नही भेजे जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 4: 58 प्रतिशत रिक्त पदो के होने के कारण विभाग मे संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना व कार्यालय मे बिना वरिष्ठ सहायक पद सृजित के 7/2011 से कार्मिक कार्यरत

कार्यालय के संगठनात्मक ढाँचों के शासनादेश संख्या 1506 दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 द्वारा पुनरीक्षित कर पुनर्गठित किया गया था। अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि कार्यालय मे 65 स्वीकृत पदो के सापेक्ष मात्र 27 (42%) स्थाई कर्मचारी कार्यरत है व रिक्त पदो मे मुख्यता वे पद शामिल है जो विभाग के योजनाओ के क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति कराता है (सलग्नक 2 के अनुसार)।

अभिलेखो के अनुसार कार्यालय प्रदेश के तीन बड़े जिलो (उत्तरकाशी 6 फार्म हाउस, पौड़ी 4 फार्म हाउस व टिहरी 2 फार्म हाउस) मे 12 फार्म हाउस का संचालन करता है लेकिन विभाग मे योजनाओ के क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति व सफलता प्राप्ति हेतु मुख्यता उप निदेशक (अतिरिक्त प्रभार मे वे निदेशक, रेशम विभाग का कार्य देख रहे है) सहायक निदेशक का पद 07 प्रदर्शक, 6 निरीक्षक, 4 प्रधान/कीट पालक व 9 प्रधान/माली नहीं है जिनमे से कुछ पद आउट सोर्सिंग से भरे जाने के लिए कार्यालय द्वारा कोई कोशिश नहीं की गयी थी। अभिलेखो मे आगे पाया गया कि कार्यालय मे वरिष्ठ सहायक का एक पद सृजित है व इस पद पर 2 स्थायी कर्मचारी कार्यरत है जबकि निदेशालय मे 11/2014 से आतिथि (5/2018) तक वरिष्ठ सहायक सृजित 4 मे से 2 पद खाली है जिसको कार्यालय मे कार्यरत कार्मिक से भरा जा सकता था/है।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अधिक रिक्त पदो के होने से कार्यालय से संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति नही होती व प्रदर्शक को तो तीन फार्म हाउस का कार्य दिया गया है कार्यालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है कि अधिक रिक्त पदो के होने से कार्यालय से संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति नही हो रही है।

अत: 58 प्रतिशत रिक्त पदो के होने के कारण विभाग मे संचालित योजनाओ के समय पर क्रियान्वयन व उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना व कार्यालय मे सृजित वरिष्ठ सहायक पद के सापेक्ष अधिक कार्मिक कार्यरत किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

Name of the Department/DDO:- Dy. Director (seri) Srinagar-Garhwal

(Dist. Pauri, Tehri, and Uttarkashi

Year	Post	Sanctioned strength (SS)	Person-in-position(PIP)	Shortfall (% to col.3)	Contractual appointment	Total availability (col.4+6)/(% to col.3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015-16 to 2017-18	Dy. Director (seri)	01	0	01	-	01
	Assistant Director	02	01	01	-	01
	Administrator Officer	01	-	01	-	-
	Head Assistant	01	-	01	-	-
	Inspector	09	05	04	-	05
	Stenographar-II	01	-	01	-	01
	Sr. Assistant	01	02	-	-	02
	Demonstrrator	13	06	07	-	06
	Jr. Assistant	03	01	02	-	01
	Co-Oprative Supervisor	01	-	01	-	-
	Driver	01	-	01	-	-
	Head Keetpalak	05	01	04	-	01
	Head Gardner	07	01	06	-	01
	Keetpalak	07	07	-	-	07
	Gardner	03	-	03	-	-
	Peon	05	01	04	-	01
	Watchman	04	02	02	-	02

	कर्तव्यों का विवरण				
		स्वीकृत	कार्यरत 12/2018	आउट सोर्स	कमी
सहयक निदेशक	• जनपद में रेशम विकास कार्यो का संचालन एवं तकनीकी निर्देशन। • जनपद स्तरीय अधिकारी के कर्तव्याों का निर्वहन एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण। • स्थापना संबंधी कार्यो का संचालन एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन, भत्तों आदि का आहरण एवं वितरण।	2	1		
निरीक्षक	▪ विकास खण्ड के अधीन स्थापित विभागीय उद्यानों का निरीक्षण। ▪ अधीनस्थ केन्द्रों को नवीनतम विभागीय तकनीकियों का हस्तान्तरण। ▪ कृषक स्तर पर कराये जा रहे रेशम विकास कार्यो का निरीक्षण एवं सत्यापन। ▪ कोया बाजारों में रेशम कोया क्रय –विक्रय प्रकिया का नियंत्रण।	09	05		04
प्रदर्शक	**1.** ग्राम / कृषक स्तर पर रेशम कीट भोज्य पौधों के उत्पादन हेतु नर्सरी स्थापित कराना तथा कृषकों को वृक्षारोपण सामग्री की आपूर्ति कराना। **2.** रेशम केन्द्र पर चॉकी कीटपालन कार्य संपन्न कराना तथा उत्तरावस्था कीटपालन हेतु कृषकों को चॉकीकृत रेशम कीटों का वितरण। **3.** प्रक्षेत्र में गुणवत्तायुक्त रेशम कोये के उत्पादन हेतु कृषकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना। **4.** उत्पादित कोया के विपणन तथा त्वरित मूल्य भुगतान की व्यवस्था कराना। **5.** क्षेत्र में रेशम विकास कार्यो का प्रसार। **6.** कृषकों को सभी विभागीय योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना। 7. इच्छुक कृषकों को विभागीय प्रशिक्षण हेतु चयनित करना।	13	06		07
माली	**1.** चॉकी उद्यानों पर औद्यानिक कार्यो का संचालन एवं उद्यानों का रख रखाव। **2.** चॉकी उद्यानों पर गैप फिलिंग , प्रूनिंग ट्रीमिंग एवं उर्वरकों का प्रयोग। 3. कृषकों के निजी वृक्षारोपण विकसित करने हेतु तकनीकी जानकारी प्रदान करना।	3	0		3
प्रधान माली		7	1		06
कीटपालक	1. कीटपालन क्षेत्र में कृषकों को कीटपालन संबंधी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना। **2.** कीटपालकों को निरन्तर तकनीकी मार्गदर्शन। 3. कृषकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुये प्रदर्शक के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।	11	4	4	3
प्रधान कीटपालक		05	1		04

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
--	**(इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है)**	---	----

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

(इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है)

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु . **उप निदेशक, रेशम , श्रीनगर, (पौड़ी गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) **शून्य**

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(i)	**श्री ए० के० यादव**	**उप निदेशक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **उप निदेशक, रेशम , श्रीनगर, (पौड़ी गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खंड-2